

छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन नं. 0771-2512536

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05-10-2026

//आदेश//

छत्तीसगढ़ संवाद एतद द्वारा, आदेश क्रमांक/ ESTB/12196/2026/छ.ग.सं./स्था./2026, श्री सब्यसाची कर, प्रकाशन विशेषज्ञ को जारी कारण बताओ सूचना दिनांक 13/08/2026 के संबंध में, निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :-

1. श्री सब्यसाची कर की नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं सेवा के संबंध में उन्हें कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2051/छ.ग.सं./स्था./2026 दिनांक 13/08/2026 द्वारा कारण बताओ सूचना जारी की गई थी, जिसके माध्यम से उन्हें उक्त सूचना की प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण/प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के स्थान पर श्री कर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक WPS 6256/2026 प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात्, उत्तर प्राप्त न होने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2646/छ.ग.सं./स्था./2026 दिनांक 16/09/2026 द्वारा श्री कर को पुनः 03 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।
2. रिट याचिका क्रमांक WPS 6256/2026 पर माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिनांक 17/09/2026 को आदेश पारित करते हुए याचिका को प्रारंभिक (मोशन) स्तर पर ही निराकृत/खारिज करते हुए निम्नानुसार निर्देशित किया:-

"Accordingly, the writ petition is dismissed at the motion stage itself. However, the petitioner shall be at liberty to submit his detailed reply to the impugned communication before the competent authority and the competent authority shall consider the same independently and take an appropriate decision in accordance with law and on its own merits, without being influenced by any of the observations made hereinabove."

3. तत्पश्चात् श्री कर का लिखित उत्तर आवक क्रमांक 2720 दिनांक 21/09/2026 को कार्यालय में प्राप्त हुआ। पत्र क्रमांक 2916/छ.ग.सं./स्था./2026 दिनांक 25/09/2026 द्वारा उन्हें दिनांक 29/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे कार्यालय छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। श्री कर नियत दिनांक एवं समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए तथा अतिरिक्त दस्तावेजों सहित अपना पक्ष रखा, जिन्हें अभिलेख में लिया गया। इस प्रकार श्री कर को लिखित उत्तर देने, व्यक्तिगत रूप से सुने जाने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है।

4. प्रकरण में उपलब्ध समस्त अभिलेखों, कारण बताओ सूचना, श्री कर द्वारा प्रस्तुत लिखित

स्पष्टीकरण/प्रतिवेदन तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का सम्यक् परीक्षण एवं स्वतंत्र रूप से विचार किया गया। श्री कर द्वारा अपने लिखित उत्तर में अपनी नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अनुभव प्रमाण-पत्र, संबंधित संस्थान/प्रतिष्ठान के संबंध में स्थिति, नियुक्ति के पश्चात् की सेवा तथा अन्य संबंधित तथ्यों के संबंध में विभिन्न तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त सभी तथ्यों एवं तर्कों का प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं दस्तावेजों के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से परीक्षण एवं विचार किया गया।

5. प्रकरण के अभिलेखों के परीक्षण के क्रम में सर्वप्रथम, वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रकाशन विशेषज्ञ का पद भी सम्मिलित था। उक्त पद हेतु विज्ञापन में निम्नानुसार योग्यता निर्धारित थी :-

अर्हताएँ :- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी की डिग्री अथवा डिप्लोमा, किसी प्रतिष्ठित संस्थान से संबंधित प्रबंधकीय कार्य में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में कम्प्यूटर पर पूर्ण दक्षता, वेब डिजाइनिंग में दक्ष एवं कार्य करने का अनुभव, स्वनिर्मित 20 डिजाइन साक्षात्कार के समय साथ लाना आवश्यक।

विज्ञापन में यह भी स्पष्ट उल्लेखित था कि "संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है एवं अनुबंध की शर्तों के अधीन है। नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।"

6. इसी विज्ञापन के अनुक्रम में श्री सब्यसाची कर को आदेश क्रमांक 24/छ.ग.सं./स्था./2001 दिनांक 04/10/2001 द्वारा प्रकाशन विशेषज्ञ के पद पर संविदा आधार पर नियुक्त किया गया, जिसकी शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधानित था कि उक्त नियोजन अनुबंध की शर्तों के अनुसार किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा तथा ऐसे नियोजन के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ संवाद की नियमित सेवा में नहीं माना जायेगा। नियुक्ति आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, विशेष रूप से निम्नलिखित शर्तें उल्लेखित थीं :-

कंडिका 8. यह कि पक्ष क्रमांक-2 यह स्वीकार करता है कि वह संवाद की नियमित सेवा में नहीं माना जायेगा और न ही वह नियमित होने तथा अस्थायी / स्थायी कर्मचारी माने जाने हेतु किसी भी प्रकार का कोई क्लेम, छत्तीसगढ़ संवाद में सेवारत होने बाबत नहीं करेगा, क्योंकि इसका कार्य इस अनुबंध में दर्शायी गयी समयावधि के लिये तथा एक विशिष्ट परिस्थिति में किया जा रहा है।

कंडिका 9. यह कि अनुबंध की कालावधि में पक्ष क्रमांक-2 पक्ष क्रमांक-1 के अधीन काम करेगा तथा उसके निर्देशों का पालन करेगा। यह कि पक्ष क्रमांक-2 का व्यवहार या अमल या काम संतोषप्रद नहीं पाया गया तो पक्ष क्रमांक-1 को अनुबंध बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त करने का अधिकार होगा। यदि किसी कारण से अनुबंध समाप्त किया जाता है तो पक्ष क्रमांक-2 को अनुबंध समाप्ति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई क्लेम या दावा करने का अधिकार नहीं होगा। पक्ष क्रमांक-2 को किसी भी आधार पर क्षतिपूर्ति, नुकसान या मुआवजा पाने का अधिकार नहीं होगा।

कंडिका 15. यह कि अनुबंधित कालावधि में काम करने के आधार पर पक्ष क्रमांक-2 छत्तीसगढ़ संवाद की सेवा में आने का अधिकारी/कर्मचारी नहीं बन सकेगा।

कंडिका 18. यह कि पक्ष क्रमांक-2 की संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसकी नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

कंडिका 20. यह कि पक्ष क्रमांक-2 ने इस अनुबंध को पढ़ व समझ लिया है तथा उसे इस अनुबंध की सभी शर्तें मान्य व स्वीकार्य हैं।

7. उक्त विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के संदर्भ में, अभिलेख पर उपलब्ध श्री कर की शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री कर द्वारा प्रस्तुत योग्यता नेशनल डिप्लोमा इन डिजाइन (ग्राफिक डिजाइन) है, जिसका प्रमाण-पत्र रग्बी कॉलेज ऑफ फर्दर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है तथा जिस पर मई, 1997 अंकित है। उनकी अन्य योग्यताओं में आर्ट एण्ड डिजाइन-ग्राफिक डिजाइन में एडवांस लेवल (एक विषय), बी.कॉम., उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक सम्मिलित हैं। अभिलेख के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि श्री कर द्वारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त विज्ञापन में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी की डिग्री अथवा डिप्लोमा को शैक्षणिक अर्हता के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था, जबकि ग्राफिक्स डिजाइनिंग का उल्लेख पृथक रूप से कम्प्यूटर पर पूर्ण दक्षता के रूप में किया गया था। अतः, उपलब्ध अभिलेखों तथा वर्ष 2001 के उक्त विज्ञापन में निर्धारित अर्हताओं के आधार पर, ग्राफिक डिजाइन एवं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दो भिन्न-भिन्न योग्यताएँ हैं तथा विज्ञापन में निर्धारित प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी की डिग्री अथवा डिप्लोमा की अर्हता के स्थान पर नेशनल डिप्लोमा इन डिजाइन (ग्राफिक डिजाइन) को समकक्ष मानने का कोई आधार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

8. उक्त विज्ञापन में निर्धारित अनुभव संबंधी अर्हता के संदर्भ में श्री कर द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र का परीक्षण करने पर यह तथ्य अवलोकित होता है कि आवेदन-पत्र में अनुभव संबंधी विवरण के अंतर्गत उनके द्वारा 05 वर्ष के अनुभव का उल्लेख किया गया था। उक्त अनुभव के संबंध में श्री कर द्वारा “मेसर्स युगबोध डिजिटल प्रिंटर्स” द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र दिनांक 04/11/2001 प्रस्तुत किया गया है। अपने लिखित उत्तर में श्री कर द्वारा उक्त अनुभव की अवधि वर्ष 1996 से वर्ष 2001 तक बताई गई है। उक्त दावे के समर्थन में श्री कर द्वारा स्वयं प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन दिनांक 22/05/2017 में उपलब्ध विवरण के अनुसार, संबंधित व्यवसाय वर्ष 1998 से पूर्व अन्य नामों से संचालित होना बताया गया है तथा बंटवारे के पश्चात् वर्ष 1998 में मेसर्स युगबोध डिजिटल प्रिंटर्स के नाम से उसका पंजीयन होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में, मेसर्स युगबोध डिजिटल प्रिंटर्स के नाम से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र दिनांक 04/11/2001 के आधार पर प्रमाणित अनुभव की अवधि वर्ष 1998 से वर्ष 2001 तक की, अर्थात् लगभग 03 वर्ष की ही होती है, जो विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम 05 वर्ष के अनुभव से कम है। वर्ष 1998 से पूर्व की अवधि, जब संबंधित व्यवसाय अन्य नामों से संचालित होना बताया गया है, को वर्ष 2001 में “मेसर्स युगबोध डिजिटल प्रिंटर्स” के नाम से अनुभव के रूप में किस आधार पर प्रमाणित किया गया, इस संबंध में श्री कर द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अथवा समर्थन में कोई विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. यह भी परिलक्षित होता है कि 05 वर्ष के अनुभव के समर्थन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण-पत्र दिनांक 04/11/2001 को जारी किया गया है, जो श्री कर की नियुक्ति दिनांक 04/10/2001 के पश्चात् का है। वहीं, उनके द्वारा प्रस्तुत ग्राफिक्स डिजाइनिंग में नेशनल डिप्लोमा इन डिजाइन का प्रमाण-पत्र मई, 1997 का है। उक्त दस्तावेजों की तिथियों के समग्र परीक्षण से अनुभव के दावे के संबंध में कालक्रमगत

स्थिति भी विचारणीय है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों के समग्र परीक्षण के आधार पर, श्री कर द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र में 05 वर्ष के अनुभव के संबंध में दी गई जानकारी तथा उक्त अनुभव के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया गया अनुभव का दावा असत्य पाया जाता है।

10. प्रकाशन विशेषज्ञ के पद पर पुष्टिकरण संबंधी प्रकरण के संबंध में श्री कर द्वारा अपने उत्तर में अपने पक्ष में तथ्यों एवं दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। रिट याचिका क्रमांक WPS 6338/2011 का उल्लेख किया गया है। उक्त रिट याचिका quo warranto की प्रकृति की एक कार्यवाही थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नियुक्ति के संबंध में quo warranto की रिट जारी किए जाने का प्रश्न था। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री कर की नियुक्ति दिनांक 04/10/2001 को एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर किए जाने का उल्लेख करते हुए, quo warranto की रिट जारी करने से इनकार किया और याचिका को निरस्त कर दिया। अतः, श्री कर की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव अथवा उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रत्येक पहलू के संबंध में न्यायिक निर्धारण के रूप में नहीं माना जा सकता। यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ संवाद की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक दिनांक 23/12/2010 में श्री सब्यसाची कर सहित 09 कर्मचारियों की सेवा स्थिति से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा उक्त संबंध में लिया गया निर्णय राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन था। उक्त के अनुक्रम में, आदेश क्रमांक 4500/छ.ग.संवाद/स्था./2010 दिनांक 31/01/2011 द्वारा श्री सब्यसाची कर को उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यंत अस्थायी रूप से दो वर्ष की परीक्षा पर नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश द्वारा श्री सब्यसाची कर को पुष्ट कर्मचारी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था तथा आज दिनांक तक उन्हें उक्त पद पर पुष्ट नहीं किया गया है।

11. इसी क्रम में, रिट याचिका क्रमांक WPS 5378/2020 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20/01/2021 को पारित आदेश में श्री कर की सेवा स्थिति के संबंध में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वे “not even a confirmed employee under the respondents on the post of Publishing Expert” थे। माननीय उच्च न्यायालय ने आगे यह भी अभिलिखित किया कि “The question of subjecting the petitioner for consideration for promotion to the post of Manager (Publication) may not arise. The petitioner has to be first confirmed on the post and thereafter he can have a claim for promotion subject to his fulfilling the requisite eligibility criteria.” अतः, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह स्थापित होता है कि श्री कर आज दिनांक तक प्रकाशन विशेषज्ञ के पद पर पुष्ट नहीं किए गए हैं।

12. लगभग 25 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधी तर्क पर भी विचार किया गया। केवल लंबी सेवा अवधि से नियुक्ति हेतु निर्धारित आवश्यक योग्यता की कमी की पूर्ति नहीं हो जाती। साथ ही, श्री कर की पात्रता, योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रश्न समय-समय पर विभिन्न मंचों एवं प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन रहे हैं। अतः, लगभग 25 वर्ष की सेवा अवधि के आधार पर प्रस्तुत उनका उक्त तर्क, नियुक्ति के समय निर्धारित अर्हताओं के परीक्षण से पृथक् रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

13. कारण बताओ सूचना दिनांक 13/08/2026, श्री कर के लिखित उत्तर दिनांक 21/09/2026, दिनांक 29/09/2026 की व्यक्तिगत सुनवाई, उसमें प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री पर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17/09/2026 के अनुरूप, किसी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, स्वतंत्र रूप से, विधि अनुसार एवं गुणदोष के आधार पर विचार

करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि श्री सब्यसाची कर विज्ञापन एवं धारित पद हेतु निर्धारित आवश्यक योग्यता एवं अनुभव की शर्तों की पूर्ति नहीं करते थे तथा पात्रता के समर्थन में उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी असत्य पायी गयी है।

अतएव, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(एक) श्री सब्यसाची कर, प्रकाशन विशेषज्ञ की सेवाएँ छत्तीसगढ़ संवाद से इस आदेश के जारी होने के दिनांक से समाप्त की जाती हैं।

(दो) वे छत्तीसगढ़ संवाद में वर्तमान में धारित पद अथवा किसी अन्य पद को न तो धारण करेंगे और न ही धारण करते हुए माने जायेंगे।

(तीन) नियमानुसार देय राशि, यदि कोई हो, का निराकरण पृथक से किया जायेगा।

(चार) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

Umesh Mishra

Date: 05-10-2026

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी

11:06:50
छत्तीसगढ़ संवाद

नवा रायपुर अटल नगर

पृ. क्रमांक /ESTB/12196/2026/छ.ग.सं./स्था./2026 नवा रायपुर अटल नगर, 05-10-2026

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
 3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
 - ✓ 4. श्री सब्यसाची कर, H.N. 621, सुंदर नगर नियर रिंग रोड, रायपुर (छ.ग.)।
 5. अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद।
 6. महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ संवाद।
 7. प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य भविष्य निधि, पण्डरी रायपुर (छ.ग.)।
 8. उपमहाप्रबंधक (लेखा), छत्तीसगढ़ संवाद।
 9. शाखा, छत्तीसगढ़ संवाद।
 10. व्यक्तिगत नस्ति/गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(sd/-)

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ संवाद

नवा रायपुर अटल नगर